उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–8
संख्या 917/2017/9(120)/XXVII(8)/2017
देहरादून:: दिनांक:: 10 नवम्बर, 2017

अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है:

अतएव ,अब ,राज्यपाल ,उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, उन सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, जो नियत तारीख तक अगस्त, 2017 और सितंबर,2017 मास के लिए प्ररूप **जीएसटीआर3-ख** में विवरणी देने में असफल रहे हैं, उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन संदेय विलंब फीस का अधित्यजन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव

सं0 917/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।
2–निदेशक, मुद्रण एंव लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियॉ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100–100 प्रतियॉ वित्त अनुभाग–8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
3–विधायी एवं संसदीय कार्य अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4–अपर सचिव, वित्त–8, उत्तराखण्ड शासन।
5–एन0आई0सी0
6–गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(हीरा सिंह बसेड़ा)
अनु सचिव

......अनुभाग
आवश्यक कार्यवाही करें।

अपर आयुक्त-वाणिज्य कर
उत्तराखण्ड, देहरादून

7419
13/11/2017

DT /GST Notification/ GSTR-3B(27-10-2017)

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No.917/ 2017/9(120)/XXVII(8)/2017 dated 10 November, 2017 for general information.

Government of Uttarakhand
Finance Section-8
No.917/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017
Dehradun :: Dated:: 10 November, 2017

Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 128 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017), on the recommendations of the Council, the Governor, is pleased to allow to waive the late fee payable under section 47 of the said Act, for all registered persons who failed to furnish the return in **FORM GSTR-3B** for the months of August, 2017 and September, 2017 by the due date.

(Radha Raturi)
Principal Secretary